जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 29.11.2024

दबिश के दौरान 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***बखिरा पुलिस द्वारा* 01** वारण्टी नाम पता करीम पुत्र शौकत निवासी ग्राम मुड़िला खुर्द थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शंभूराम, का0 दीपक कुमार।

***धनघटा पुलिस द्वारा* 03** वारण्टी नाम पता 01. लकी पुत्र धूपे यादव निवासी ग्राम मुण्डेरा शुक्ल 02. शम्भूराम पुत्र पांचू निवासी प्रजापतिपुर 03. विनोद पुत्र मोतीलाल निवासी पड़रिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रविन्द्र यादव, उ0नि0 श्री रामदरश यादव, जयप्रकाश कुशवाहा, का0 विनोद कुमार, का0 लोकेश यादव, का0 अजय कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3316 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3316 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत बनौली से इवेंट सं0 **46516** द्वारा कालर ने जमीनी विवाद / मारपीट मे घायल 01 महिला (1. रीमा पुत्री मिसिर राजभर ग्राम बनौली थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी लोहरसन भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुई महिला को ईलाज हेतु सीएचसी लोहरसन भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 विशाल यादव, हो0चा0 दुर्गा प्रसाद।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 171 वाहनों से 1,87,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 171 वाहनों से 1,87,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 650 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 29.11.2024 को ***सी0 जे0 (जे0 डी0) जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 92/2002 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता विसातु उर्फ मेहदीहसन पुत्र कल्लन कसाई निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत 600 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 50 रुपये अर्थदण्ड से कुल 650 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।